रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022026-269843
CG-DL-E-05022026-269843

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947
No. 102]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 108(अ).— यह अधिसूचना, राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 127(अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 के अधिक्रमण में जारी की जा रही है।

परिभाषा

1. इस अधिसूचना में –

क. स्टार्टअप का अभिप्राय ऐसे निकाय से है जोकि-

i. भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) अथवा बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के रूप में, जो बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत हो; अथवा ऐसी सहकारी समिति हो, जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत संबंधित सहकारी समिति रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत हो;

ii. अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर हो;

iii. निगमीकरण या पंजीकरण के समय से किसी भी वित्त वर्ष में निकाय का कुल कारोबार दो सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो;

iv. उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही हो अथवा रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल हो।

बशर्ते कि, इस अधिसूचना के अंतर्गत **'डीपटेक स्टार्टअप'** के रूप में मान्यता प्राप्त किसी निकाय के मामले में:"

(क) खंड (ii) में निर्दिष्ट अवधि, उसके निगमन या पंजीकरण की तारीख से बीस वर्ष तक होगी; तथा

(ख) खंड (iii) में निर्दिष्ट कारोबार की सीमा, निगमन या पंजीकरण के पश्चात् किसी भी वित्त वर्ष के लिए तीन सौ करोड़ रुपए होगी।

बशर्ते यह भी कि किसी मौजूदा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्गठन के माध्यम से गठित कोई भी निकाय स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण-

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, किसी निकाय को उसके निगमीकरण या पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार दो सौ करोड़ रुपए से अधिक होने पर स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

बशर्ते कि, इस अधिसूचना के अंतर्गत 'डीपटेक स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त किसी निकाय के मामले में, ऐसे निकाय को उसके निगमीकरण या पंजीकरण की तारीख से बीस वर्ष होने पर, अथवा यदि किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक होने पर 'डीपटेक स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

ख. "अधिनियम" का तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961[1] है;

ग. "बोर्ड" का आशय अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होगें:

i. संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, संयोजक

ii. जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य

iii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य

बोर्ड के सदस्यों की संख्या तथा संरचना में सचिव, डीपीआईआईटी के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है।

घ. "केंद्रीय रजिस्ट्रार" का अर्थ वही होगा जो बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 3 के खंड (घ) में उसे प्रदत्त अर्थ के अनुसार है;

ङ. "सहकारी समिति" वह होगी जो भारत में संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के समक्ष किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सहकारी समितियों के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत हो;

च. "सीमित देयता भागीदारी" का अर्थ सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ढ) में उसे प्रदत्त अर्थ के अनुसार है;

छ. "बहुराय सहकारी समिति" वह होगी जो बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत हो; तथा

ज. "भागीदारी फर्म" का अर्थ भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अंतर्गत उसे प्रदत्त अर्थ के अनुसार है;

झ. "प्राइवेट लिमिटेड कंपनी" का अर्थ वही होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदत्त अर्थ के अनुसार है;

ञ. "राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहकारी समिति अधिनियम" का अभिप्राय ऐसे किसी भी अधिनियम से होगा जो समय-समय पर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित विषयों पर अधिनियमित किया गया हो।

ट. "कारोबार" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (91) में दिए गए अनुसार होगा;

ठ. इस अधिसूचना में "प्रपत्रों" के सभी संदर्भों को इसके परिशिष्ट-I में दिए गए प्रपत्रों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

ड. “डीपीआईआईटी” का आशय है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग।

ढ. “डीपटेक स्टार्टअप” का अभिप्राय ऐसे “स्टार्टअप” से है, जिसमें पैरा (1)(क) में उल्लिखित मानदंडों के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशेषताएं हों, अर्थात:

i. वह किसी वैज्ञानिक या अभियांत्रिकी विषय अथवा एकाधिक विषयों के अंतर्गत नवीन ज्ञान/प्रगति पर आधारित ऐसे समाधान के विकास पर कार्य कर रहा हो, जो अभी विकसित किया जाना शेष हो अथवा जिसके विकास की प्रक्रिया जारी हो;

ii. उसकी कुल आय/वित्तपोषण की तुलना में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) गतिविधियों पर उसके व्यय का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक हो;

iii. वह महत्वपूर्ण नवीन बौद्धिक संपदा (आईपी) का स्वामी हो अथवा उसके सृजन की प्रक्रिया में हो तथा उसके व्यावसायीकरण हेतु कदम उठा रहा हो; तथा

iv. वह विकास के संदर्भ में विस्तारित समय-सीमाओं, दीर्घकालिक परियोजना अवधियों, अधिक पूंजी एवं अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का सामना कर रहा हो, तथा उसमें पर्याप्त तकनीकी या वैज्ञानिक अनिश्चितता का पुट मौजूद हो।

“बशर्ते कि, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ‘डीपटेक स्टार्टअप’ को ‘स्टार्टअप’ माना जाएगा, तथा ‘स्टार्टअप’ के संदर्भों में, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, ‘डीपटेक स्टार्टअप’ भी शामिल समझे जाएंगे।

बशर्ते यह भी कि किसी निकाय द्वारा ‘डीपटेक स्टार्टअप’ की विशेषताओं को पूरा किए जाने का निर्धारण, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे फ्रेमवर्क, मानदंडों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, तथा यह आवेदक द्वारा विभाग की विनिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों एवं सूचनाओं के आधार पर किया जाएगा।”

मान्यता

2. स्टार्टअप के रूप में पात्र निकाय की मान्यता संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

i. कोई भी निकाय डीपीआईआईटी द्वारा स्थापित पोर्टल पर विनिर्दिष्ट आवेदन प्रस्तुत करेगी। इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे—

क. निगमीकरण अथवा पंजीकरण, जैसा भी मामला हो, प्रमाण-पत्र की प्रति, और

ख. व्यवसाय के स्वरूप का ब्यौरा, जिसमें यह प्रमुखता से दर्शाया गया हो कि वह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार या रोजगार सृजन या धन सृजन के सन्दर्भ में अपनी स्केलेबिलिटी की दिशा में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है।

ग. ‘डीपटेक स्टार्टअप’ के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले निकाय के मामले में, ऐसे निकाय को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर यथाविनिर्दिष्ट ऐसे दस्तावेज़ एवं सूचनाएं प्रदान करनी होंगी, जो यह प्रदर्शित करें कि उक्त इकाई इस अधिसूचना के **‘स्पष्टीकरण’** खंड के अंतर्गत बिंदु (ढ) में निर्दिष्ट विशेषताओं को पूरा करती है।

ii. डीपीआईआईटी, ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना मांगे जाने तथा जांच करने के बाद, जैसा भी वह उचित समझे-

क. पात्र निकाय को, ‘डीपटेक स्टार्टअप’ सहित, जैसा भी लागू हो, ‘स्टार्टअप’ के रूप में मान्यता दे सकता है; अथवा

ख. कारण बताते हुए आवेदन को नामंजूर कर सकता है।

अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रयोजन हेतु प्रमाणन[2]

3. एक स्टार्टअप, जिसमें डीपटेक स्टार्टअप भी शामिल है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है अथवा एक सीमित दायित्व वाली भागीदारी है, और अधिनियम की धारा 80-आईएससी के स्पष्टीकरण उपखण्ड (i) तथा उपखण्ड (ii) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रयोजन हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रपत्र-1 में उसमें उल्लिखित दस्तावेजों सहित बोर्ड को आवेदन कर सकता है और बोर्ड संबंधित दस्तावेजों अथवा सूचना मांगने और आवश्यक जांच के पश्चात, यथाउपयुक्त पाए जाने पर-

i. अधिनियम की धारा 80-आईएसी के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप खंड (ग) के सन्दर्भ में प्रमाणपत्र जारी कर सकता है; अथवा

ii. कारण बताते हुए आवेदन को नामंजूर कर सकता है।

स्टार्टअप, डीपीआईआईटी द्वारा स्थापित पोर्टल पर विनिर्दिष्ट आवेदन प्रस्तुत करेगा।

शर्तें

4. स्टार्टअप, जिसमें डीपटेक स्टार्टअप भी शामिल है, अपने निधियों का उपयोग मुख्यतः अपने मूल व्यावसायिक कार्यकलापों, नवप्रयोग, अनुसंधान, विस्तार अथवा परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करेगा, तथा अपने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी गतिविधि या निवेश में शामिल नहीं होगा।

5. स्टार्टअप, जिसमें डीपटेक स्टार्टअप भी शामिल है, मान्यता की अवधि के दौरान, निम्नलिखित परिसंपत्तियों या गतिविधियों में निवेश नहीं करेगा, सिवाय उन मामलों के, जहां ऐसा निवेश उसके मूल व्यावसायिक परिचालन का अभिन्न अंग हो—

i. भवन अथवा उससे संबद्ध भूमि, जो आवासीय मकान हो, सिवाय उस भवन के जिसका उपयोग स्टार्टअप अपने स्वयं के व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए करता हो अथवा जो स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में हो;

ii. भूमि या भवन, या दोनों, जो आवासीय मकान न हों, सिवाय उन परिसंपत्तियों के, जो स्टार्टअप द्वारा अपने व्यवसाय के लिए उपयोग में लाई जा रही हों अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में हों;

iii. ऋण एवं अग्रिम, सिवाय उन मामलों के, जहां धन उधार देना स्टार्टअप के व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण भाग हो अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में ऐसे अग्रिम दिए जाते हों;

iv. अन्य इकाइयों में पूंजी अंशदान, सिवाय उन मामलों के, जहां ऐसा अंशदान प्रत्यक्ष रूप से स्टार्टअप के व्यवसाय या उसके रणनीतिक उद्देश्यों से संबंधित हो;

v. शेयरों एवं प्रतिभूतियों में निवेश, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसे निवेश ट्रेज़री परिचालनों में आकस्मिक स्वरूप के हों अथवा स्टार्टअप के मूल व्यवसाय का हिस्सा हों;

vi. मोटर वाहन, विमान, नौकाएं अथवा उच्च मूल्य के अन्य परिवहन साधन, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसी परिसंपत्तियां परिचालन, पट्टे (लीज), किराए पर देने अथवा स्टॉक-इन-ट्रेड के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती हों;

vii. आभूषण अथवा अन्य विलासितापूर्ण परिसंपत्तियां, सिवाय उन मामलों के जहां वे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में हों; तथा

viii. सट्टा आधारित (स्पेकुलेटिव) या गैर-उत्पादक प्रकृति की कोई अन्य परिसंपत्ति या कार्यकलाप, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

निरसन

6. (1) यदि यह पाया जाता है कि पैरा 3 के संदर्भ में कोई भी प्रमाण-पत्र गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो बोर्ड के पास ऐसे प्रमाण-पत्र या अनुमोदन को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(2) जहां जिन मामलों में उप-पैरा (1) के तहत प्रमाण-पत्र या अनुमोदन रद्द कर दिया गया हो, उन मामलों में यह माना जाएगा कि ऐसे प्रमाण-पत्र या अनुमोदन को बोर्ड द्वारा कभी भी जारी या मंजूर नहीं किया।

छूट एवं संशोधन

7. केंद्र सरकार, विशेष परिस्थितियों में, जैसा वह उपयुक्त समझे, स्टार्टअप की श्रेणियों के लिए अथवा अलग-अलग मामलों में, इस परिभाषा की एक या अधिक शर्तों की प्रवर्तनीयता में छूट दे सकती है या उसे संशोधित कर सकती है।

प्रभाव

8. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी-38015/19/2025- स्टार्टअप इंडिया]

संजीव, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-I

प्रपत्र-1

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईएसी के प्रयोजनों हेतु प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

1. स्टार्टअप का नाम
2. स्टार्टअप के निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख
3. निगमन संख्या/पंजीकरण संख्या
4. पता और व्यापार स्थल
5. व्यवसाय का स्वरूप
6. स्टार्टअप का संपर्क विवरण (फोन नंबर और ईमेल)
7. आयकर स्थायी खाता संख्या
8. मौजूदा/प्रस्तावित गतिविधियां
9. संज्ञम ज्ञापन, एलएलपी/साझेदारी विलेख, बोर्ड संकल्प / पंजीकरण विवरण की प्रति;
10. स्टार्टअप के पिछले तीन वित्त वर्षों के वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे (यदि लागू हों);
11. नवप्रयोग, संपत्ति सृजन तथा रोजगार सृजन को दर्शाने वाले सहायक दस्तावेज़

(उत्पाद/सेवा संबंधी विवरण, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के संबंध में दायर अभिलेख, उपयोगकर्ता या राजस्व वृद्धि से संबंधित मेट्रिक्स, पुरस्कार एवं मान्यताएं, वित्तपोषण का विवरण, रोजगार संबंधी आंकड़े, अथवा स्टार्टअप के नवप्रयोग, स्केलेबिलिटी एवं आर्थिक प्रभाव की क्षमता को प्रदर्शित करने वाली कोई अन्य सामग्री, साथ ही यथाविनिर्दिष्ट कोई भी घोषणा या विवरण संलग्न किए जाएं।)

घोषणा

मैं/ हम, एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त जानकारी सत्य है और कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाई नहीं गई है।

कृते (स्टार्टअप का नाम)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) पदनाम

स्थान:-----------

दिनांक:----------

[1] 1 अप्रैल, 2026 से, आयकर अधिनियम, 2025 (21 अगस्त, 2025 को अधिसूचित) के प्रावधान लागू होंगे। https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265620.pdf

[2] 1 अप्रैल, 2026 से, आयकर अधिनियम, 2025 (21 अगस्त, 2025 को अधिसूचित) के अंतर्गत प्रावधान लागू होंगे। https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265620.pdf

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(**Department for Promotion of Industry and Internal Trade**)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2026

G.S.R. 108(E).— This notification is being issued in supersession of the Gazette Notification No. G.S.R. 127(E) dated February 19, 2019.

Definitions

1. In this notification, —

a. 'Startup' means an entity which—

i. is incorporated or registered in India as a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013) or registered as a partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2008) or a Multi-State Cooperative Society registered with the Central Registrar of Cooperative Societies (under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002) or a Cooperative Society registered under any State or Union Territory Cooperative Societies Act with the respective Registrar of Cooperative Societies in India;

ii. is within a period of ten years from the date of its incorporation or registration;

iii. has a turnover for any of the financial years since incorporation or registration not exceeding two hundred crore rupees; and

iv. is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation.

Provided that, in the case of an entity recognised as a '**Deep Tech Startup**' under this notification:

(a) the period specified in clause (ii) shall be up to twenty years from the date of its incorporation or registration; and

(b) the turnover limit specified in clause (iii) shall be three hundred crore rupees for any of the financial years since incorporation or registration.

Provided further that, an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered a Startup.

Explanation-

For the purposes of this notification, an entity shall cease to be a Startup on completion of ten years from the date of its incorporation or registration, or if its turnover for any previous year exceeds two hundred crore rupees.

Provided that, in the case of an entity recognised as a Deep Tech Startup under this notification, such entity shall cease to be a Deep Tech Startup on completion of twenty years from the date of its incorporation or registration, or if its turnover for any previous year exceeds three hundred crore rupees.

b. "Act" means the Income-tax Act, 1961[1];

c. "Board" means the Inter-Ministerial Board of Certification comprising of the following members:

i. Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Convener

ii. Representative of Department of Biotechnology, Member

iii. Representative of Department of Science & Technology, Member

The strength and composition of the Board may be amended, with the approval of Secretary, DPIIT.

d. "Central Registrar" shall have the meaning as assigned to it in clause (d) of Section 3 of The Multi-State Cooperative Societies Act, 2002;

e. "cooperative society" shall be registered under any State/Union Territory Cooperatives Acts with the respective Registrar of Cooperative Societies in India;

f. "limited liability partnership" shall have the meaning as assigned to it in clause (n) of sub- section(1) of Section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008;

g. "multi-state cooperative society" shall be registered with the Central Registrar of Cooperative Societies under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002;

h. "partnership firm" shall have the meaning as assigned to it in Section 4 of the Partnership Act, 1932;

i. "private limited company" shall have the meaning as assigned to it under the Companies Act, 2013;

j. "State/Union Territory Cooperatives Acts" shall refer to any Acts relating to cooperative societies enacted from time to time by a State or Union Territory;

k. "turnover" shall have the meaning as assigned to it in clause (91) Section 2 of the Companies Act, 2013;

l. All references to "Forms" in this notification shall be construed as references to the forms set out in Appendix-I hereto;

m. "DPIIT" means Department for Promotion of Industry and Internal Trade.

n. A 'Deep Tech Startup' means a 'Startup' that has the following attributes, in addition to the criteria detailed in para (1)(a):

i. It is working on producing a solution based on new knowledge/advancements within a scientific or engineering discipline or multiple disciplines, which is yet to be developed or is in the process of being developed;

ii. It has a high percentage of expenditure on research and development (R&D) activities as a percentage of revenue/funding;

iii. It owns or is in the process of creating significant novel intellectual property (IP) and taking steps to commercialize the same; and

iv. It is facing extended development timelines, long gestation periods, high capital and infrastructure requirements, and carrying large technical or scientific uncertainty.

Provided that, for the purposes of this notification, a 'Deep Tech Startup' shall be deemed to be a 'Startup', and references to a 'Startup' shall include a 'Deep Tech Startup', unless otherwise stated.

Provided further that, the determination of whether an entity satisfies the attributes of a 'Deep Tech Startup' shall be made in accordance with such framework, parameters, and guidelines as may be issued by the Department, and based on the documents and information furnished by the applicant in the manner specified by the Department.

Recognition

2. The process of recognition of an eligible entity as Startup shall be as under: —

i. An entity shall make the application specified on the portal set-up by DPIIT. The application shall be accompanied by—

   a. a copy of Certificate of Incorporation or Registration, as the case may be, and

   b. a write-up about the nature of business highlighting how it is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or its scalability in terms of employment generation or wealth creation.

   c. in the case of entities applying to be recognised as 'Deep Tech Startup', the entity must provide documents and information as may be specified in the online application portal which demonstrate that the entity meets the attributes specified under point (n) under the 'Explanation' section of this notification.

ii. The DPIIT may, after calling for such documents or information and making such enquiries, as it may deem fit, —

   a. recognise the eligible entity as 'Startup', including as a 'Deep Tech Startup' as applicable; or

   b. reject the application by providing reasons.

Certification for the purposes of section 80-IAC of the Act[2]

3. A Startup, including a Deep Tech Startup being a private limited company or limited liability partnership, which fulfils the conditions specified in sub-clause (i) and sub-clause (ii) of the Explanation to section 80-IAC of the Act, may, for obtaining a certificate for the purposes of section 80-IAC of the Act, make an application in Form-1 along with documents specified therein to the Board and the Board may, after calling for such documents or information and making such enquires, as it may deem fit, —

i. grant the certificate referred to in sub-clause (c) of clause (ii) of the Explanation to section 80-IAC of the Act; or

ii. reject the application by providing reasons.

A Startup shall make the application specified on the portal set-up by DPIIT.

Conditions

4. Startup, including a Deep Tech Startup, shall deploy its funds primarily towards its core business activities, innovation, research, scaling, or operational requirements, and shall not engage in activities or investments of the nature specified below, except in the ordinary course of its business.

5. Startup, including a Deep Tech Startup, shall not, during the period of recognition, invest in any of the following assets or activities, other than where such investment is integral to its core business operations—

i. building or land appurtenant thereto, being a residential house, other than that used by the Startup for its own business purposes or held as stock-in-trade;

ii. land or building, or both, not being a residential house, other than that occupied by the Startup for its business or held as stock-in-trade in the ordinary course of business;

iii. loans and advances, except where the lending of money is a substantial part of the Startup's business or such advances are made in the ordinary course of business;

iv. capital contributions to other entities, except where such contribution is directly related to the Startup's business or strategic objectives;

v. investment in shares and securities, except where such investments are incidental to treasury operations or form part of the Startup's core business;

vi. motor vehicles, aircraft, yachts or other modes of transport of high value, except where such assets are used for operational, leasing, hiring or stock-in-trade purposes;

vii. jewellery or other luxury assets, except where held as stock-in-trade in the ordinary course of business;

viii. any other asset or activity of a speculative or non-productive nature, as may be notified by the Central Government.

Revocation

6. (1) In case it is found that any certificate referred to para 3 has been obtained on the basis of false information, the Board reserves the right to revoke such certificate or approval.

(2) Where the certificate or approval has been revoked under sub-para (1), such certificate or approval shall be deemed never to have been issued or granted by the Board.

Relaxations and Modifications

7. The Central Government may, in special circumstances, relax or modify the applicability of one or more conditions of this definition for classes of startups or individual cases, as it may deem fit.

Effect

8. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. P-38015/19/2025-STARTUP INDIA]

SANJIV, Jt. Secy.

APPENDIX-I

Form-1

Application for certificate for the purposes of section 80-IAC of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the Startup
2. Date of incorporation/ registration of Startup
3. Incorporation no./ registration no.
4. Address and business location
5. Nature of business
6. Contact details of Startup (Phone No. and Email)
7. Income Tax Permanent Account No.
8. Existing/ proposed activities
9. Copy of Memorandum of Association, LLP/partnership Deed, Board Resolution/ registration details
10. Annual audited accounts of the startup for the last three financial years (if applicable)
11. Supporting documents demonstrating Innovation, Wealth Creation, and Employment Generation

    (Enclose relevant supporting documents such as product/service descriptions, IPR filings, user or revenue growth metrics, awards and recognitions, funding details, employment data, or any other material demonstrating the startup's innovation, scalability, and potential for economic impact, along with any declarations or statements as specified.)

Declaration

I/ We hereby certify that the above information furnished by me is true and no relevant information has been concealed.

For (Name of the Startup)

(Name of the authorised signatory) Designation

Place:_______

Date: _______

[1] From 1st April 2026, the provisions of Income-tax Act, 2025 (notified on 21st August, 2025) will come into effect https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265620.pdf

[2] From 1st April 2026, the provisions under Income-tax Act, 2025 (notified on 21st August, 2025) will come into effect https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265620.pdf

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.05 15:17:48 +05'30'